फा.सं.20-22/2011-बाग IV

भारत सरकार

कृषि मंत्रालय

कृषि एवं सहकारिता विभाग

कृषि भवन, नई दिल्ली

दिनांक:

सेवा में,

1. सचिव, (कृषि/बागवानी)
   केन्द्रीय सरकार के सभी विभाग/राज्य सरकारें/संघ शासित सरकारें
2. सचिव, (डेयर एवं डी जी, भा.कृ.अ.प.)
   कृषि भवन, नई दिल्ली ।
3. कुलपति,
   सभी राज्य कृषि विश्वविद्यालय/केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय
4. भा.कृ.अ.प. के अंतर्गत सभी अनुसंधान संस्थान
5. अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक/प्रबंध निदेशक,
   सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/स्वायत्तशासी संगठन

विषय: काजू एवं कोको विकास निदेशालय, कोचीन में उप-निदेशक(विकास) के पद का भरा जाना ।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि काजू एवं कोको विकास निदेशालय, कोचीन जो इस विभाग के तहत एक अधीनस्थ कार्यालय है, में 3000-100-3500-125-4500/- रू0 (संशोधित वेतनमान 15,600-39,100/- रू0, ग्रेड वेतन 6600/- रू0 के साथ) के वेतनमान में उप निदेशक (विकास) (सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह-क अराजपत्रित, अननुसचिवीय) के एक पद को अल्पावधिक संविदा सहित प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा भरे जाने का प्रस्ताव है । पात्रता की शर्तें निम्नलिखित हैं :-

1. अल्पकालिक संविदा सहित प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण : केन्द्रीय/राज्य सरकारों/भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद/कृषि विश्वविद्यालयों/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम/मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों अथवा परिषदों/अर्ध सरकारी/स्वायत्तशासी या सांविधिक संगठनों के अंतर्गत जो अधिकारी:

(क) (i) नियमित आधार पर सदृश पद धारण करते हों; या

(ii) 2200-4000 रूपए के वेतनमान (संशोधित वेतनमान: 8000-13500) में पद पर 5 वर्ष की नियमित सेवा की हो अथवा समकक्ष या

(iii) 2000-3500 रूपए के वेतनमान (6500-10,500 रूपए के संशोधित वेतनमान) में पद पर 8 वर्ष की नियमित सेवा की हो

(ख) निम्नलिखित शैक्षणिक एवं अनुभव रखते हों :-

अनिवार्य:

(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या समकक्ष से बागवानी/कृषि में मास्टर डिग्री

(ii) बागवानी या कृषि विकास/विस्तार/योजना/विपणन/अनुसंधान के क्षेत्र में विशेष रूप से काजू और/अथवा अन्य बागवानी फसलों के संदर्भ में पांच वर्ष का अनुभव

वांछनीय:

(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या समकक्ष से बागवानी/कृषि में डाक्टरेट डिग्री

(ii) बागवानी फसलों के संदर्भ में विकासात्मक स्कीमों के निरूपण में अनुभव

प्रतिनियुक्ति की अवधि उसी या किसी अन्य संगठन/केन्द्रीय सरकार के विभागमें इस नियुक्ति से तत्काल पहले धारित किसी अन्य संवर्ग-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित सामान्यतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति (लघु आवधिक संविदा सहित) के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

प्रतिनियुक्ति आधार पर चयनित अधिकारियों को अपना ग्रेड वेतन जमा प्रतिनियुक्ति (ड्यूटी) भत्ता लेने अथवा समय-समय पर, यथा संशोधित कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 11.3.1998 के का.ज्ञा.सं. 2/8/97-स्था. (वेतन-II) के अनुसार पद से संबंधित वेतनमान में अपना वेतन निर्धारित कराने का विकल्प है ।

अनुरोध है कि ऐसे अधिकारियों के आवेदन (दो प्रतियों में) संलग्न प्रपत्र में पूर्ण अद्यतन गोपनीय रिपोर्ट सहित (गोपनीय रिपोर्ट की प्रतिलिपियां भारत सरकार के ऐसे अधिकारी से सत्यापित होनी चाहिएं जो अवर सचिव के पद से कम न हों ।) रोजगार समाचार पत्र में जारी होने की तारीख़ से 60 दिन के भीतर अपर उपायुक्त (बागवानी), कृषि एवं सहकारिता विभाग,कमरा सं. 189, कृषि भवन, नई दिल्ली-110001 के पास भेज दिए जाएं जिन्हें उनका

चयन होने की स्थिति में छोड़ा जा सके और पात्र अधिकारी की सत्यनिष्ठा भी प्रमाणित की जाए ।

आवेदन पत्र भेजते समय, यह भी जांच की जाए और सत्यापित किया जाए कि अधिकारी द्वारा दिए गए ब्यौरे सही हैं और उनके खिलाफ़ कोई सतर्कता मामला न तो लंबित है और न ही ऐसा किए जाने का विचार है तथा पिछले 10 वर्षों के दौरान न ही उन पर कोई छोटी/बड़ी शास्तिलगाई गई है । अंतिम तारीख़ के बाद प्राप्त आवेदन पत्र अथवा बिना गोपनीय रिपोर्ट, सतर्कता निकासी, निष्ठा प्रमाणपत्र और पिछले 10 वर्षों के दौरान अधिकारियों पर लगाई गई कोई छोटी/बड़ी शास्ति, यदि कोई हो, तो उसके विवरण के बिना या अन्यथा अपूर्ण पाए गए आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा ।

(अमित सहाय)
अपर आयुक्त
दूरभाष नं. 011-23389614

<u>प्रतिलिपि प्रेषितः-</u>

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों को इस अनुरोध के साथ कि वे अपने प्रशासनिक नियंत्रणाधीन अधीनस्थ और संबद्ध कार्यालयों में इस रिक्ति को व्यापक प्रसार दें ।
2. कृषि और सहकारिता विभाग के सभी संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालय ।
3. सचिव (कृषि एवं सह.)/अपर सचिव/बागवानी आयुक्त/संयुक्त सचिव (प्रशासन)/निदेशक (बागवानी)/निदेशक (कार्मिक)/अवर सचिव (बागवानी)(प्रशा.) ।
4. एनआईसी, कृषि एवं सहकारिता विभाग को इस अनुरोध के साथ कि विज्ञापन को विभाग की वेबसाइट में रिक्ति परिपत्रों के लिए आरक्षित भाग में डाला जाए ।
5. सरलीकरण केन्द्र, कृषि एवं सहकारिता विभाग ।
6. गार्ड फाइल/अतिरिक्त प्रतियां/सूचना पट्ट ।

<u>प्रपत्र</u>

1. नाम :

2. जन्म तिथि :

3. मूल विभाग/संगठन में

   सेवा निवृत्ति की तारीख :

4. शैक्षणिक योग्यताएं :

5. क्या इस पद के लिए अपेक्षित शैक्षणिक अर्हताओं को पूरा करते हैं ।

   यदि नियमों में किसी योग्यता को किसी निर्धारित योग्यता के

   समतुल्य बताया गया है तो उसके प्राधिकरण का नाम बताएं ।

	अपेक्षित अर्हताएं/ <u>अनुभव</u>	अधिकारी के पास <u>अर्हता/अनुभव</u>
अनिवार्य-	(1)	
	(2)	
	(3)	
वांछनीय-	(1)	
	(2)	
	(3)	

6. आपके द्वारा की गई उपर्युक्त प्रविष्टियों को ध्यान में रखते हुए कृपया

   स्पष्ट उल्लेख करें कि क्या आप पद की अपेक्षाओं को पूरा करते हैं ।

7. कालक्रमानुसार में रोजगार के विवरण । यदि नीचे का स्थान अपर्याप्त है तो अपने हस्ताक्षर द्वारा विधिवत प्रमाणित एक अलग पत्रक संलग्न करें ।

कार्यालय/संस्थान/संगठन	धारित पद	से	तक	वेतनमान और उनमें मूल वेतन	निष्पादित ड्यूटियों का स्वरूप

8. वर्तमान नियुक्ति का स्वरूप अर्थात तदर्थ अथवा अस्थाई अथवा स्थायी ।

9. यदि वर्तमान रोजगार प्रतिनियुक्ति/संविदा आधार पर है तो कृपया उल्लेख करें ।

(क) प्रारम्भिक नियुक्ति की तारीख

(ख) प्रतिनियुक्ति/संविदा पर नियुक्ति की अवधि

(ग) मूल कार्यालय/संगठन का नाम जिससे आप संबंध रखते हैं

10. वर्तमान रोजगार के बारे में अतिरिक्त ब्यौरे ।

कृपया बताएं क्या आप निम्न के अंतर्गत कार्यरत है;

(क) केन्द्र सरकार
(ख) राज्य सरकार
(ग) स्वायत्त संगठन
(घ) सरकारी उपक्रम
(ङ) विश्वविद्यालय

11. क्या आप संशोधित वेतनमान प्राप्त कर रहे है ? यदि हां तो तारीख बताएं जिसमें संशोधन किया गया था और पूर्वसंशोधित वेतनमान भी बताएं ।

12. इस समय प्रतिमाह आहरित कुल परिलब्धियां

13. अतिरिक्त सूचना, यदि कोई है, जिसका आप पद के लिए अपनी उपयुक्तता के समर्थन में उल्लेख करना चाहेंगे । यदि स्थान अपर्याप्त हो तो अलग पत्रक संलग्न करें ।

14. क्या आप अनु.जा./अनु.ज.जा./अन्य पिछड़े वर्ग से संबंधित हैं ?

15. टिप्पणियां :

उम्मीदवार के हस्ताक्षर............................

पता..

दिनांक :-

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तुत ब्यौरे सही हैं और अधिकारी के खिलाफ कोई अनुशासनिक मामला लंबित या अपेक्षित नहीं है और पिछले 10 वर्षों में अधिकारी पर कोई छोटा अथवा बड़ा दण्ड नहीं लगाया गया है और उनकी सत्यनिष्ठा संदेह से परे है ।

विभाग/संगठन अध्यक्ष के हस्ताक्षर

(मोहर सहित)